

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: /नर्सिंग/नर्स-2(f)/स्वै.से./एम-32/2018/

दिनांक:-


-:आदेश:-

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1239/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 की अनुपालना में श्रीमती मरिया कुट्टी टी.ए.. महिला स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोजत रोड, पाली जिनकी जन्म तिथि 30.05.1961 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 26.05.1984 है, को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत 30.04.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की दिनांक 30.04.2018 को अकार्य दिवस माना जावेगा।

इनके विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम 19 के अधीन कोई कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3.कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने वाली डी0बी0 के निर्णय के अध्याधीन होंगे।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: /नर्सिंग/नर्स-2(f)/स्वै.से./एम-32/2018/ 1058

दिनांक:- 21/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैनफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर।
5. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
6. श्री कान्तीलाल ठाकुर अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
8. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोजत सिटी पाली।
9. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोजत रोड, पाली।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।